न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री चम्पालाल जीनगर, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या 53/2022

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स
सुखा पुत्र तेजा जाति जाट निवासी बिखरनियां खुर्द, तहसील डेगाना जिला नागौर, राजस्थान		1 तहसीलदार डेगाना, जिला नागौर। 2 पटवारी हल्का, बिखरनियां कलां,तहसील डेगाना जिला नागैर। 3 चिमना पुत्र चन्द्रा (फौत) के कायम मुकाम– 3/1 पप्पु देवी पुत्री चिमना 3/2 शांति देवी पुत्री चिमना 4 रामदेव पुत्र हुकमा (फौत) के कायम मुकाम– 4/1 लिछमण पुत्र रामेदव 4/2 स्वरूप देवी पुत्री रामदेव 4/3 हरजूडी पुत्री रामदेव 5 देवी लाल पुत्र हुकमा 6 बंशीलाल पुत्र तेजा 7 सुखा पुत्र तेजा 8 गोपाल पुत्र जालाराम 9 हरजी पुत्र जालाराम 10 दयाल पुत्र जालाराम जातियान जाट निवासीगण बिरनियां खुर्द, तहसील डेगाना जिला नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री रमेश कुमार ढाका अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट 01 व 02 की ओर से।
3. श्री महेन्द्र भाटी अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3/1, 3/2, 4/1 से 4/3 तथा 5, 6 तथा 8 से 10 की ओर से

निर्णय

दिनांक 13.01.2025

{1}–अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार डेगाना द्वारा मौजा बिखरनियां खुर्द के नामान्तरकरण सं. 21 निर्णय दिनांक 15.07.2016 से असंतुष्ट होकर दिनांक 17.11.2022 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 28.11.22 को मियाद का बिंदु विचाराधीन रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 01 से 02 की ओर से श्री आमेप्रकाश पूनिया राजकीय अधिवक्ता तथा रेस्पोडेंट संख्या 3/1, 3/2, 4/1 से 4/3 तथा 5, 6 तथा 8 से 10 की ओर से श्री महेन्द्र भाटी अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया। अपील के विचाराधीन रहते हुए वकील अपीलांट ने दिनांक 09.10.2024 को एक प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सीपीसी का रेस्पोंडेंट संख्या 07 सुखा को प्रकरण से हटाये जाने का निवेदन किया, जिसको बाद सुनवाई स्वीकार कर रेस्पोडेंट संख्या 7 को प्रकरण से हटाया गया। अपीलांट ने अपनी अपील के समर्थन में उपखण्ड अधिकारी मेडता के डिक्री दिनांक 12.03.16 की फोटोप्रति, मौजा बिखरनियां खुर्द के नामान्तरकरण सं. 21 की फोटोप्रति, मौजा बिखरनियां खुर्द के मिलान क्षेत्रफल की फोटोप्रति, मौजा बिखरनियां खुर्द की जमाबंदी सम्वत् 2075 से 78 की फोटोप्रति, मौजा बिखरनियां खुर्द के नामान्तरकरण संख्या 316 की फोटोप्रति पेश की गई।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। अपीलान्ट के विद्धान अभिभाषक द्वारा मियाद के बिंदु पर बताया गया कि सहायक कलक्टर, डेगाना द्वारा पारित डिक्री के अनुसार गत खसरा नम्बर 95 रकबा 59 बीघा 12 बिस्वा मौजा बिखरनियां खुर्द तहसील डेगाना रकबा 59.12 बीघा में से रकबा 22 बीघा 17 बिस्वा प्रतिवादी संख्या 25 से 58 के बंट व कब्जे काश्त में रखी गई थी, किन्तु तहसीलदार ने उक्त डिक्री की पालना में जो म्यूटेशन स्वीकृत किया उसमें प्रतिवादी संख्या 25 से 32 का नाम त्रुटिवंश छूट गया, जबकि अपीलांट प्रर्फोमा पक्षकारों का आज दिन भी अपने हक व हिस्से व खातेदारी की भूमि पर कब्जा काश्त निरन्तर रहता चला आया है। अभी केसीसी ऋण लेने के लिये जब अपीलांट पटवारी हल्का के पास गया तथा खतौनी की नकलें निकलवाई तो उसे जानकारी में आया कि बंटवाडा होने के बाद में उनका नाम वापस दर्ज नहीं किया गया है तब अपीलांट तहसीलदार के पास गया तथा उन्हें इस संबंध में बताया तो उन्होंने कहा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता। आप नागौर जाकर म्यूटेशन अपील करो तब उक्त म्यूटेशन की नकल लेकर न्यायालय हाजा में उक्त अपील पेश की गई, जिसे मियाद में शुमार की जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र तस्दीकसुदा प्रस्तुत किया गया है। जो माकूल आधार पर प्रतीत होता है। अतः अपीलांट की अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है। अंतिम बहस शुरू करते हुए वकील अपीलांट ने आगे अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

13/1/25

अपर कलक्टर, नागौर

{2}(I)– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण स्वीकृत करने से पूर्व कानून एवं मिसल पर उपलब्ध तथ्यों, साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड एवं निर्णय व डिक्री पर ध्यान पूर्वक अवलोकन किये बिना ही विधि के विपरीत जाकर नामान्तरकरण स्वीकृत करने का आदेश पारित किया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

{2}(II)– विवादित भूमि का अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है तथा सहायक कलक्टर डेगाना ने गत खसरा नम्बर 95 रकबा 59.12 बीघा के संबंध में निर्णय व डिक्री पारित की, उक्त डिक्री के अनुसार गत खसरा नम्बर 95 रकबा 59.12 बीघा में से रकबा 22.17 बीघा भूमि अपीलांट व प्रतिवादी संख्या 25 से 28 के बंट में रखी गई थी, किन्तु तहसीलदार ने इस डिक्री की पालना में नामान्तरकरण दर्ज करते समय ध्यान नहीं दिया तथा अपीलांट व अन्य प्रर्फोमा पक्षकारों का नाम नामान्तरकरण में दर्ज करने से छूट गया तथा नामान्तरकरण दर्ज कर दिया जो नामान्तरकरण त्रुटि पूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

{2}(III)–अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार की कोई जांच नहीं की और न ही सुनवाई का समुचित अवसर दिया न ही न्यायालय सहायक कलक्टर, डेगाना द्वारा पारित डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया और नामान्तरकरण स्वीकृत करते का त्रुटिपूर्ण आदेश पारित कर दिया, जो अपास्त होने योग्य है।

{2}(IV)– अपीलांट रिकार्डेड खातेदार काबिज काश्तकार होने के बावजूद व डिक्री में भी उसका उल्लेख होने के बावजूद तहसीलदार ने सही रूप से नामान्तरकरण दर्ज नहीं किया जिससे अपीलांट अपने हक अधिकार की भूमि से महरूम हो रहा है। इसलिये उक्त म्यूटेशन को निरस्त किया जाकर पुनः डिक्री की पालना में म्यूटेशन दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

{3}–वकील रेस्पोडेन्ट सं. 3/1, 3/2, 4/1 से 4/3 तथा 5, 6 तथा 8 से 10 ने अपीलांट की बहस का समर्थन किया।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय के रेकर्ड का अद्योपान्त अध्ययन किया गया। अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार डेगाना द्वारा मौजा बिखरनियां खुर्द के नामान्तरकरण सं. 21 निर्णय दिनांक 15.07.2016 की स्वीकृति से असंतुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करते समय अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर डेगाना के राजस्व वाद संख्या 16/2013 के निर्णय दिनांक 12.03.2016 में दिये गये निर्देशों की पूर्णतः पालना नहीं की है। न्यायालय द्वारा पारित आदेश के प्रसंज्ञान में आते ही तहसीलदार डेगाना का यह दायित्व था कि न्यायालय के आदेशानुसार उक्त नामान्तरकरण स्वीकृत करते। ऐसी स्थिति मे आदेश जैर अपील मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार (भू.अ.) तहसीलदार डेगाना द्वारा मौजा बिखरनियां खुर्द के नामान्तरकरण सं. 21 निर्णय दिनांक 15.07.2016 को अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर डेगाना के राजस्व वाद संख्या 16/2013 के निर्णय दिनांक 12.03.2016 में पारित डिक्री की पूर्णतः पालना करते हुए, इस संबध मे सभी दस्तावेज अभिलेख पर लेकर, विधिअनुसार जांच कर गुणावगुण पर आदेश पारित करे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/1/17

(चम्पालाल जीनगर)
अपर कलक्टर, नागौर

अपर कलक्टर, नागौर